न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– कौशलेन्द्र कुमार......वगैरह ।

बनाम

वाद सं0 08/2022

द्वितीय पक्ष– राजेश राम .... वगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 28/10/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 11/2022 दिनांक 25/04/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) कौलेन्द्र कुमार थाना प्रभारी कामडारा, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) राजेश राम उम्र 33 वर्ष पिता धुरा राम (2) अर्जुन राम उम्र 28 वर्ष पिता दुती राम दोनो ग्राम सरिता हरिजन टोली थाना कामडारा जिला गुमला के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में शांति व्यवस्था बनाये रखने को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं द्वितीय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त हैं। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः द्वितीय पक्षों के पक्षो उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.12.01 11:42:37 +05:30
Location: 192.168.178.239